

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.3(ई)(1)(6)/डीपीसी/2022-23/अलेसे-आ/548 दिनांक :- 29.03.2023

आदेश संख्या 694/2022-23

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 29(2ए) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी वर्ष 2013-14) की सिफारिशों के आधार पर श्री मनोहर सिंह, कनिष्ठ लेखाकार (मेरिट संख्या 506/1990, लिंक नं. 2435) जन्म तिथि 20.05.1964 का चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ के रिक्त पद पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर किया गया था, किन्तु इनके विरुद्ध एसीबी प्रकरण 196/2006 दर्ज होने एवं अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति नतीजे का लिफाफा बंद किए जाने की अनुशंसा की गई थी।

तत्पश्चात् विचाराधीन प्रकरण में श्री सिंह के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होने के कारण अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग एवं मुख्य सर्तकता आयुक्त, शासन सचिवालय जयपुर के स्तर पर अभियोजन स्वीकृति नहीं देने का निर्णय लिया गया जिसके फलस्वरूप इनकी पदोन्नति की जाकर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ पद का ग्रेड-पे रु 3600 (01 जुलाई 2013 से ग्रेड पे 4200) में स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता है।

श्री मनोहर सिंह को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ के पद पर चयन वर्ष 2013-14 के विरुद्ध पदोन्नति करते हुए इस आदेश की पालना में वास्तविक कार्यग्रहण तिथि तक पदोन्नति पद की ग्रेड-पे रु 3600 (01 जुलाई 2013 से ग्रेड पे 4200) में वेतन निर्धारण का केवल काल्पनिक लाभ ही देय होगा।

श्री मनोहर सिंह, कनिष्ठ लेखाकार को पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पद से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ के पद पर पदोन्नत करते हुए इनका पदस्थापन कार्यालय उपकोषाधिकारी, सांगानेर, जयपुर-5825 में किया जाता है। श्री मनोहर सिंह को पदोन्नति पर वास्तविक परिणाम कार्यग्रहण तिथि से देय होंगे।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.3(ई)(1)(6)/डीपीसी/2022-23/अलेसे-आ/548 दिनांक :- 29.03.2023
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....को प्रेषित कर निवेदन है कि संबंधित कार्मिक के पदोन्नति पर कार्यग्रहण की सूचना विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित करावें।
4. उप निदेशक (एसीपी) को बेवसाईट पर अपलोड एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु।
5. डीपीसी शाखा/ए.पी.ए.आर शाखा/वरिष्ठता/गार्ड फाईल निजी पत्रावली।
6. श्री मनोहर सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ कार्यालय.....
7. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।


(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-आ/आ)